न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
104 / 2024	13.06.2024	28.06.2024

अनवान

1. शम्भू पुत्र लक्ष्मण जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. भैरू लाल पिता गंगाराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. छगन पिता किसना जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. गोपीलाल पिता भैरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. हिरा लाल पिता लालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. प्रभु पिता डालु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. हंसराज पिता हरिकिशन जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. हिरा पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. रामेश्वर पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. सुन्दर पिता उंकार जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. भैरू पिता उंकार जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. किशन पिता माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. मिठू पिता गणेश जाति जाट आयु वयस्क निवासी हड़मतिया जाटान तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. लोबा पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
14. नोसर पत्नी भैरू लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
15. देवीलाल पिता माधु जाति जाट आयु वयस्क निवासी हडमतिया जाटान तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
16. जमना पिता मिठू जाति जाट आयु वयस्क निवासी हडमतिया जाटान तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
17. जीतु पिता मादु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:57:38 IST
Reason: SelfAttested

18. जमना पिता मादु जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
19. जगदीश पिता माधव लाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
20. राधेश्याम पिता माधव लाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
21. जमनीबाई पत्नी माधव लाल जाति शर्मा आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
22. गीता पत्नी शंकर जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
23. शान्ति पत्नी रतन लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
24. भंवर पिता हजारी जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
25. लक्ष्मण पिता रतन जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
26. लोकेश पिता रतन जाति जाट आयु वयस्क निवासी कचौलिया तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री ठाकुर प्रसाद व्यास — प्रार्थी
एकतरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कचौलिया पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 151 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1047, 1057, 208, 317, 557, 558, 694, 696, 706, 707, 740 कुल किता 11 कुल रकबा 2.24 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 82 में दर्ज आराजी संख्या 639, 640, 641, 646 कुल किता 04 कुल रकबा 2.23 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:57:38 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को [illegible]र किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। [illegible] 28.06.[illegible] को अप्रार्थी सं0 1 से 26 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्र[illegible] द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कचौलिया पटवार हल्का केसरखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 151 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1047, 1057, 208, 317, 557, 558, 694, 696, 706, 707, 740 कुल किता 11 कुल रकबा 2.24 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 82 में दर्ज आराजी संख्या 639, 640, 641, 646 कुल किता 04 कुल रकबा 2.23 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Badgujar
Date: 2024.08.23 12:57:38 IST
Reason: SelfAttested